अद्य

18 9/18 पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर होने पर आवेदक की ओर से नोटिस तलब किया गया। प्रकरण 136 का होने से बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि रकबा 796 का मूल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम कोरेड़ा खुर्द में स्थित था। जिसमें से राष्ट्रीय राज मार्ग 11 A के चौड़ाईकरण

---.x.---

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाजर/अहलकार हुक्म के

के लिए रकबा नं० 796 में से 0.3244 हैक्टर में अर्थात 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि अवाप्त किया गया था। उक्त अवाप्त शुदा भूमि को जमाबन्दी सं० 1567 में दर्ज की गई किन्तु उक्त दर्ज करते समय रकबा 796 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से N.H.11 के लिये अवाप्त की गई भूमि 0.3244 हैक्टर यानि 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज करने के पश्चात शेष रकबा 0.2320 हैक्टर अर्थात 1 बिस्वा दर्ज किया जाना चाहिये था। जिसके स्थान पर शेष रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा दर्ज किया गया जो गलत है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की सेलजन रिपोर्ट एवं देहात के जात से तथा तहसीलदार से विवाद शुद्ध किये जाने की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रक० नं० 796/2 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज किया जाकर तहसीलदार सिवाई को विवाद सही व दुरुस्त किये जाने का निर्देश प्रदान किया जाता है। जिन राजस्व कर्मी द्वारा उक्त त्रुटि की गई हो वह गम्भीर प्रकृति की है। अतः भूअर्जन/परवाटी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावे। पत्रावली पैसल शुमार होकर रुम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

31

18/9/19

उपखण्ड अधिकारी
सिवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner